न्यायालय उपखण्ड अधिकारी(एस.डी.ओ.)सिणधरी

पीठासीन अधिकारी—श्री समदरसिंह भाटी, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या :—80 / 2025

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
अर्जुनराम पुत्र भोमाराम जाति घांची निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी		1. खमादेवी पुत्री भोमाराम जाति घांची 2. चम्पालाल पुत्र भोमाराम जाति घांची 3. नीम्बाराम पुत्र भोमाराम जाति घांची 4. पारसमल पुत्र भोमाराम जाति घांची 5. बंशीलाल पुत्र भोमाराम जाति घांची 6. बाबुसिंह पुत्र रूपसिंह जाति रावणा राजपूत 7. राणाराम पुत्र भोमाराम जाति घांची निवासी सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बालोतरा। 8. सुरेश कुमार गुप्ता पुत्र अनन्तराम जाति अग्रवाल निवासी बालोतरा जिला बालोतरा। 9. तहसीलदार सिणधरी।

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित—

1.श्री गणपतदान चारण अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।

2. विप्रार्थी सं. 09 के पैरोकार उप.। शेष विप्रार्थीगण—एकतरफा

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:48:35 IST
Reason: SelfAttested

आदेश दिनांक— 15.10.2025

1. संक्षेप में आवेदन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि मौजा किशनपुरा पटवार हल्का सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 15 रकबा 5.2019 हैक्टेयर की भूमि अवस्थित है। जिसके प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 8 रिकार्डड सहखातेदार है, कि प्रार्थी का वास्तविक नाम अर्जुनराम पुत्र भोमाराम के स्थान पर उक्त खेतों में राजस्व की भूलवंश से

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

अजाराम पुत्र भोमाराम गलत नाम दर्ज हो रखा है। अतः प्रार्थी द्वारा उक्त विवादित भूमि में दायर अजाराम के स्थान पर अर्जुनराम दुरूस्त करवानें हेतु आवेदन पत्र पेश किया गया है।

2. प्रार्थी का आवेदन दर्ज रजिस्टर किया गया। विप्रार्थीगण को जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस तलव किया गया। विप्रार्थीगण के नोटिस तामीलशुदा प्राप्त हुए। विप्रार्थी सं. 10 के पैरोकार उपस्थित। शेष विप्रार्थीगण वावजूद सूचना के हाजिर नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

3. वकील प्रार्थी की वहस सुनी गई। वकील प्रार्थी ने आवेदन के तथ्यों को दोहरातें हुए कथन किया मौजा किशनपुरा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 15 रकवा 5.2019 हैक्टेयर की भूमि अवस्थित है। जिसके प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 8 रिकार्डेड सहखातेदार है, कि प्रार्थी का वास्तविक नाम अर्जुनराम पुत्र भोमाराम के स्थान पर उक्त खेतों में राजस्व की भूलवंश से अजाराम पुत्र भोमाराम गलत नाम दर्ज हो रखा है। विप्रार्थी संख्या 09 तहसीलदार सिणधरी ने अपने मौखिक कथनों में स्वीकार किया है, कि प्रार्थी का वास्तविक नाम अजाराम पुत्र भोमाराम न होकर अर्जुनराम पुत्र भोमाराम है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि में इन्द्राज अजाराम पुत्र भोमाराम के स्थान पर अर्जुनराम पुत्र भोमाराम दुरूस्ती किये जाने का आदेश फरमावें।

4. हमनें वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया। और पत्रावली के सलंग्न राजस्व रिकार्ड,दस्तावेजात व जवाब का गम्भीरतापूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया कि मौजा किशनपुरा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर में खेत खसरा संख्या 15 रकबा 5.2019 हैक्टेयर की भूमि अवस्थित है। जिसके प्रार्थी एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 8 रिकार्डेड सहखातेदार है, कि प्रार्थी का वास्तविक नाम अर्जुनराम पुत्र भोमाराम के स्थान पर उक्त खेतों में राजस्व की भूलवंश से अजाराम पुत्र भोमाराम गलत नाम दर्ज हो रखा है, क्योकि प्रार्थी का वास्तविक नाम अर्जुनराम पुत्र भोमाराम है। इससे स[illegible] है कि प्रार्थी का वास्तविक नाम अजारामन होकर अर्जुनराम है। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी [illegible] गलत नाम इन्द्राज की प्रविष्टि तत्कालीन हल्का पटवारी की गलती से प्रार्थी को [illegible] क्षति हो रही है, जिसका प्रार्थी दोषी नहीं है। इस प्रकार प्रार्थी सही नाम अर्जुनराम करवानें का हकदार है। इसी प्रकार पैरोकार सरकार ने अपनी मौखिक अभिकथनों में स्वीकार किया है कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम इन्द्राज हो रखा है,जवकि प्रार्थी का वास्तविक नाम अर्जुनराम है। एवं पत्रावली के सलंग्न

Signature Not Verified
Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:48:35 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

सरकारी दस्तावेजात यथा–आधार कार्ड प्रति, परिवार राशन कार्ड, पैनकार्ड, जनआधार कार्ड की प्रति में प्रार्थी का नाम अर्जुनराम अंकित है, उपरोक्त विवेचन से सावित होता है,कि प्रार्थी का विवादित भूमि में गलत नाम अजाराम पुत्र भोमाराम इन्द्राज हो रखा है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम अर्जुनराम पुत्र भोमाराम है। जो प्रार्थी विवादित भूमि में अजाराम पुत्र भोमाराम के स्थान पर अर्जुनराम पुत्र भोमाराम दुरूस्ती करवानें के योग्य है। ऐसी सूरत में प्रार्थी का आवेदन स्वीकार योग्य है।

5. लिहाजा प्रार्थी का आवेदन स्वीकार किया जाकर मौजा किशनपुरा पटवार क्षेत्र सिणधरी तहसील सिणधरी जिला वाड़मेर में खेत खसरा संख्या 15 रकवा 5.2019 हैक्टेयर भूमि के राजस्व रिकार्ड (जमाबंदी) में अंकित प्रविष्टि अजाराम पुत्र भोमाराम के स्थान पर अर्जुनराम पुत्र भोमाराम दर्ज करने किये जानें के आदेश दिये जाते है। शेष बदूस्तर रहेगा। तहसीलदार सिणधरी तदुनसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार अमलदरामद किया जाना सुनिश्चित करें।

आदेश आज दिनांक 15.10.2025 को लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Samadar Singh Bhati
Date: 2025.12.11 13:48:35 IST
Reason: SelfAttested